23/7/25 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन मे यह तथ्य सामने आया है कि मूल दावे पर बाजदायरी की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर में विचाराधीन है।

बाजदायरी की निगरानी में दावे के Restoration के बिन्दु को तय किया जाना है। चूंकि इस प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

मै॰ सीमेन्स बनाम द्रोपदी

न्यायालय Acm Ist JPR

संख्या T.I. 79/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वि
	23/1/25	जो कि दावे का ही अहम हिस्सा है, पर इक्तानुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जानी है। इसलिए इस स्तर पर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में सुनवाई का औचित्य नहीं है। साथ ही आदेश -39 नियम 3-A, सि॰ प्र॰ सं॰ में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम व्यादेश दिनांक 06.02.14 को बिना समुचित कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूँकि मूलवाद पर बाजदायगी निगरानी अधीन है, इसलिए इस प्रा॰ पत्र के अंतिम निर्णय में	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		देरी होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः आदेश दिनांक 06.02.14 को आगे बढ़ाये जाने का औचित्य शेष नहीं होने से न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 06.02.14 को discontinue किया जाता है। सारतः पत्रावली पर आगामी कार्यवाही को बाजदायरी की निगरानी के अंतिम निस्तारण के पश्चात् ही किया जाना उचित होगा। इसलिए दावे पर बाजदायरी की निगरानी के अंतिम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

मै० सीमैक्स बनाम द्रोपदी

यालय ACM Ist JPR

या T.I. 79/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
23/7/25	निस्तारण तक अथवा प्रा० पत्र पेश होने तक पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	